निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 17 / 2025
दायरा दिनांकः—03.03.2025
निर्णय दिनांकः—29.7.25

उनवान

1. पर्वतसिंह आयु 70 वर्ष पुत्र मिश्रीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम पटना तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः—29.7.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री रामनिवास वैष्णाव — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीके खाते व कब्जे काश्त की आराजी खाता सं० 39 की खसरा नं० 207 रकबा 0.0253 हैक्टयरख0नं0 208 है0 0.0379 है० ख0न0211 की रकबा 0. 0885 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा कुल 0.1517 हैक्टेयर वाके माल पटना तहसील छबडा जिला बांरा राज. मे स्थित है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी का उपरोक्त वर्णित आराजी मे राजस्व विभाग की गलती गफलत एवं लापरवाही के कारण फोती इन्तकाल मे पिता के फोत होने पर गलती से प्रार्थी के पिता का नाम भँवरलाल दर्ज हो चुका है। जब कि बैंक डायरी, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम मिश्रीलाल दर्ज है । इस प्रकार से प्रार्थी के पिता का नाम भँवरलाल नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर दुरूस्त कर पिता का सही नाम मिश्रीलाल दर्ज होना अति आवश्यक है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड मे पिता का गलत नाम भँवरलाल के स्थान पर सही नाम मिश्रीलाल सही नाम दर्ज होना नितान्त आवश्यक है क्यो की इसके अभाव मे प्रार्थी अपने समस्त अधिकारो से वंचित हो रहा है। जैसे भूमि का मुआवजा, कृषि ऋण एवं सहकारी प्राप्त करना एवं अन्य सरकारी सहायता ससे वंचित हो रहा है। इसीलिए सही नाम पिता का मिश्रीलाल नाम दर्ज होना आवश्यक है। इसके लिए प्रार्थीया दिनांक 28—2—2025 को प्रार्थीया श्रीमान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सीलदार साहब प्रति० के पास नाम दुरूस्तीकरण हेतु प्रा०पत्र प्रस्तुत करने गया तो उन्होने माननीय न्यायालय में नाम दुरूस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी। वाद कारण सर्वप्रथम एवं अन्तिम बार दिनांक 28—02—2025 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील छबडा के नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन करने गया तो उन्होने न्यायालय श्रीमान मे दुरूस्तीकरण हेतु नाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पटना तहसील छबडा सम्वत् 2076—79 खाता संख्या 39 नकल नामान्तरण संख्या 121 दिनांक 25.09.1986 ग्राम पटना, नकल नामान्तरण संख्या 86 दिनांक 22.03.1980 फोटो काफी अपील आदेश दिनांक 10.11.2023 उप नारेकोटिक्स आयुक्त कोटा फोटो, प्रति आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम पटना तहसील छबडा में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम फोंती नामान्तरण खोलतें समय गलती से प्रार्थी के पिता का नाम भंवरलाल दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी के पिता का नाम मिश्रीलाल दर्ज है प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर पिता का सही नाम मिश्रीलाल दर्ज किया जावें। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी समस्त अधिकारों से वंछित हो रहा है प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सहायता नही मिल पा रही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम भंवरलाल के स्थान पर मिश्रीलाल दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम पटनाकी जमाबन्दी सम्वत् 2079 की खाता संख्या 39 के खसरा नम्बर 207 रकबा 0.0253 है0 खसरा नम्बर 308 रकबा 0.0379 है0 खसरा नम्बर 211 रकबा 0.0885 है0 किता 3 रकबा 0.1517 है0 भूमि पर्वतसिंह पुत्र भंवरलाल हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। गत समस्त रिकार्ड में जॉच की गई तो ग्राम पटना के नामान्तरण संख्या 121 दिनांक 25.09.1986 जर्ये बैनामा मिश्रीलाल पुत्र मौखम सिंह अहीर से क्रय की गई थी। नामान्तरण संख्या 121 दिनांक 25.09.1986 में क्रेता खातेदार का नाम पर्वतसिंह पुत्र भंवरलाल जाति अहीर दर्ज है एवं विक्रय पत्र में भी क्रेता का नाम पर्वतसिंह पुत्र भंवरलाल जाति अहीर दर्ज है ग्राम वासियान से जानकारी की गई तो ग्राम वासियान ने बताया कि पर्वतसिंह पुत्र भंवरलाल व पर्वतसिंह पुत्र मिश्रीलाल अहीर एक व्यक्ति के नाम है ग्राम वासियान ने बताया कि पर्वतसिंह पुत्र मिश्रीलाल जाति अहीर नाम ही सही नाम है पर्वतसिंह पुत्र भंवरलाल अहीर नाम नामान्तरण व विक्रय पत्र में ही आया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पटना सम्वत् 2076—79

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...ता संख्या 39 में पर्वतसिंह पुत्र भंवरलाल जाति अहीर दर्ज है नकल नामान्तरण नम्बर 121 दिनांक 25.09.1986 के अनुसार मिश्रीलाल खातेदार द्वारा खरीददार पर्वतसिंह पुत्र भंवरलाल जाति अहीर को 6000/— में बेचान का नमान्तरण दर्ज होना पाया जाता है। नकल नामान्तरण नम्बर 86 दिनांक 22.03.1980 के अनुसार भंवरलाल लाऔलाद फोत होने पर उसके भाई मिश्रीलाल के नाम फोती नामान्तरण दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा पर्वतसिंह एवं मिश्रीलाल एक ही व्यक्ति है यह साबित नही किया गया है इसके लिए प्रार्थीगण को साक्ष्य व सबूत पेश कर साबित करना चाहिये था धारा 136 एल.आर.एक्ट एक समरी प्रकिया है जिससे रिकार्ड में हुई त्रृटि को सुधार किया जा सकता है परन्तु इस प्रकरण में चाहे गये अनुतोष धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत अनुज्ञेय नही है अतः प्रकरण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)